न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
32 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	26.04.2021	06.08.2021

विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर (राजस्थान)

.... प्रार्थी

बनाम

1–Sh. Ashok Agarwal S/o Sh. Kailash Agarwal, FBO & Director
M/s V.P. Agro Oils Pvt. Ltd., F 2-3, Industrial Area, Newai, Dist Tonk
स्थाई पताः– जैन कॉलोनी, झिलाय वालों का बाग, निवाई टोंक

2–Sh. Kailash Chand Agarwal, Director
M/s V.P. Agro Oils Pvt. Ltd., F 2-3, Industrial Area, Newai, Dist Tonk

3–Sh. Pawan Agarwal, Director
M/s V.P. Agro Oils Pvt. Ltd., F 2-3, Industrial Area, Newai, Dist Tonk

4–M/s V.P. Agro Oils Pvt. Ltd., F 2-3, Industrial Area, Newai, Dist Tonk

...... अप्रार्थीगण

परिवाद अन्तर्गत धारा 52 एफएसएस एक्ट 2006

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 06.08.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.01.2021 को समय 3.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण M/s V.P. Agro Oils Pvt. Ltd., F 2-3, Industrial Area, Newai, Dist [illegible] पहुंचा। विक्रेता एंव निर्देशक की हैसियत से Sh. Ashok Agarwal S/o Sh. [illegible] Agarwal, FBO & Director M/s V.P. Agro Oils Pvt. Ltd., F 2-3, Industrial Area, Newai, Dist Tonk स्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

पताः– जैन कॉलोनी, झिलाय वालों का बाग, निवाई टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता एंव निर्देशक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे Groundnut Oil (Kailashpati) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री अशोक अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता अशोक अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा संस्थान मे 15 किलोग्राम के 150 टिन Groundnut Oil (Kailashpati) रखे हुये मे से एक टिन को अच्छी तरह से हिला मिलाकर टिकडी के विपरीत दिशा मे छेद कर उसमे से 1600 ग्राम वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री अशोक अग्रवाल को रू0 235/–अक्षरे दौ सो पेतीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा Groundnut Oil (Kailashpati) 1600 ग्राम को चार साफ,सूखे एंव खाली प्लास्टिक बोतलो मे बराबर–बराबर (प्रत्येक बोतल मे 400 ग्राम) एंव प्रत्येक बोतल को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बंद किया। खरीदशुद्वा Groundnut Oil (Kailashpati) के टिन 15 किलोग्राम पर प्रिन्टेड लेबलो की 5–5 छायाप्रतियां करवाकर उन पर भी श्री अशोक अग्रवाल के हस्ताक्षर करवाकर उन चार छायाप्रतियो को लेबल के रूप मे चारो नमूना बोतलो के साथ संलग्न किया एंव शेष 1 छायाप्रतियो को कागजात के साथ रखा। चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2805 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2805 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. अशोक अग्रवाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:10 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 [illegible] तियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया [illegible] नमूना मांग फार्म नं0 6 की प्रति के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2021/412 दिनांक 17.02.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल०एस०/152/एक्ट/2021/243(ए) दिनांक 28.01.2021 के अनुसार अशोक अग्रवाल से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया Groundnut Oil (Kailashpati) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का Groundnut Oil (Kailashpati) का विकय कर F.S.S.A 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) {Contravention of Proviso (iii) of Regulation No. 2.2.2(3) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 (Quantity of Trans Fat Content not given on the label of sample), धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस Groundnut Oil (Kailashpati) का विकय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया. है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया Groundnut Oil (Kailashpati) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी Sh. Ashok Agarwal S/o Sh. Kailash Agarwal, FBO & Director M/s V.P. Agro Oils Pvt. Ltd., F 2-3, Industrial Area, Newai, Dist Tonk स्थाई पताः– जैन कॉलोनी, झिलाय वालों का बाग, निवाई टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रुपये) अप्रार्थी Sh. Kailash Chand Agarwal, Director M/s V.P. Agro Oils Pvt. Ltd., F 2-3, Industrial Area, Newai, Dist Tonk पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रुपये) अप्रार्थी Sh. Pawan Agarwal,

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:10 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

Director M/s V.P. Agro Oils Pvt. Ltd., F 2-3, Industrial Area, Newai, Dist Tonk पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर, रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

6.8.2021

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:10 IST
Reason: SelfAttested

1209

Scanned by CamScanner